बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्रांक–16विनि०–45/2017 301 /कृ०, पटना, दिनांक 27/03/2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
(*) द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

(*) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय :– **कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), गुलाबबाग (पूर्णियाँ) के बाजार प्रांगण में सड़कों के जीर्णोद्धार हेतु 780.44 लाख (सात करोड़ अस्सी लाख चौवालीस हजार) रूपये, जल निकासी कार्य हेतु 317.57 लाख (तीन करोड़ सतरह लाख संताबन हजार) रूपये, चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु 153.41 लाख (एक करोड़ तिरपन लाख एकतालीस हजार) रूपये एवं भेंडिग जोन/पार्किंग कार्य हेतु 223.45 लाख (दो करोड़ तेईस लाख पैतालीस हजार) कुल 1474.87 लाख (चौदह करोड़ चौहत्तर लाख सतासी हजार) रूपये से जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति।**

आदेश :– स्वीकृत ।

कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), गुलाबबाग (पूर्णियाँ) के बाजार प्रांगण में सड़कों के जीर्णोद्धार हेतु 780.44 लाख (सात करोड़ अस्सी लाख चौवालीस हजार) रूपये, जल निकासी कार्य हेतु 317.57 लाख (तीन करोड़ सतरह लाख संताबन हजार) रूपये, चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु 153.41 लाख (एक करोड़ तिरपन लाख एकतालीस हजार) रूपये एवं भेंडिग जोन/पार्किंग कार्य हेतु 223.45 लाख (दो करोड़ तेईस लाख पैतालीस हजार) कुल 1474.87 लाख (चौदह करोड़ चौहत्तर लाख सतासी हजार) रूपये से जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना का उद्देश्य कृषि बाजार समिति के प्रांगण में कृषकों द्वारा उत्पादित फसल उपज को लाभकारी मूल्य प्राप्ति हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है एवं बाजार समिति प्रांगण को विकसित किया जायेगा। इससे किसानों को बाजार समिति के प्रांगण में फसल उपज लाने, भंडारित करने एवं बेचने में सुविधा प्राप्त होगी। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।

3. बाजार समिति परिसर अवस्थित सड़कों, जल निकासी, चहारदिवारी, भेडिंग जोन/पार्किंग कार्य एवं अन्य जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, पूर्णियाँ द्वारा तैयार प्राक्कलन को 1474.87 लाख (चौदह करोड़ चौहत्तर लाख सतासी हजार) रूपये की तकनीकी अनुमोदन पत्रांक–278, दिनांक–02.02.2018 को मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना द्वारा प्रदान की गई है। तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन (अनुसूची–1) अनुरूप राशि पर ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्य योजना का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	योजनाओं का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू०)
01	Improvement of road of Gulabbag Marketing Yard for the Year 2016-17	780.44
02	Renovation of boundary wall of Agriculture Produce Marketing Yard, Gulabbag for the Year 2016-17	153.41
03	Improvement of vending zone/parking of Gulabbag Marketing Yard for the Year 2016-17	223.45
04	Improvement of drainage system of Gulabbag Marketing Yard for the Year 2016-17	317.57
	कुल योग :–	**1474.87**

4. प्रस्तावित योजना के निर्माण कार्य का अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ सदर–सह–विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०), गुलाबबाग (पूर्णियाँ) द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा समय–समय पर जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, कृषि निदेशक–सह–प्रशासक होंगें। इस कार्य को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जायेगा।

5. यह राशि भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या–3 में उपलब्ध है। स्वीकृत राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पी०एल० खाता संख्या–238 में पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर BTC - 46 पर की जायेगी। योजना के निर्माण कार्य का अनुमंडल पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी, गुलाबबाग (पूर्णियाँ) द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा समय–समय पर जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा भी निरीक्षण किया जायेगा। इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, कृषि निदेशक–सह–प्रशासक होंगें।

6. स्वीकृत्यादेश सं०–3118 दिनांक–03.07.2015 के माध्यम से 10.175 लाख (दस लाख सतरह हजार पाँच सौ) रूपये तथा स्वीकृत्यादेश 3300 दिनांक–27.07.2016 के माध्यम से 6.925 लाख (छः लाख बेरानबे हजार पाँच सौ) रूपये उपर्युक्त बाजार समिति गुलाबबाग (पूर्णियाँ) को चहारदिवारी के घेराबंदी के निर्माण/मरम्मति हेतु स्वीकृत की गयी थी। इस प्रकार एक ही काम के लिये उपर्युक्त प्रस्ताव के अतिरिक्त विगत दो वित्तीय वर्षों में भी उक्त वर्णित राशि स्वीकृत की गयी थी। कार्य को दोहराव न हो इसके लिये पूर्व में किये गये कार्यो को छोड़कर शेष कार्यो को कराया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है, (राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0119–कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059010510119 विषय शीर्ष 53.01 मुख्य निर्माण कार्य	7247.58	1224.1421
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102–कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059017890102 विषय शीर्ष 53.01 मुख्य निर्माण कार्य	1832.98	235.9792
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–796– जनजाति क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0105– कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059017960105 विषय शीर्ष 53.01 मुख्य निर्माण कार्य	114.56	14.7487
कुल योग :–	9195.12	1474.87

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना की स्वीकृति में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक–20.03.2018 को प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–16विनि०–45/2017 के पृष्ठ सं०–14/टि० पर दिनांक–25.03.2018 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

10. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–16विनि०–45/2017 के पृष्ठ सं०–15/टि० पर दिनांक–26.03.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23.3.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

Development Bazar Samiti Gulabbagh (Purnia) (Mithilesh)

ज्ञापांक–16विनि०–45/2017 301 /कृ०, पटना, दिनांक 27/03/2018

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–45/2017 301 /कृ०, पटना, दिनांक 27/03/2018

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–45/2017 301 /कृ०, पटना, दिनांक 27/03/2018

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–45/2017 301 /कृ०, पटना, दिनांक 27/03/2018

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (वि०), पंत भवन, बेली रोड, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि०)/सभी संबंधित पदाधिकारीगण/योजना शाखा/बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

27.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–16विनि०–45/2017 301 /कृ०, पटना, दिनांक 27/03/2018

प्रतिलिपि :– उप कृषि निदेशक (सूचना), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

27.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना ।